कोर्ट फी 10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

233

प्र.क्रं. / निगरानी, नि-3218-I/16 सन 2016

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा एड0
20/9/16 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट

भुल्ली कोंदर तनय शिवलाल कोंदर
निवासी ग्राम गंज तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

शासन म.प्र.

.... गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. सं. 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित सादर निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, निगरानीकर्ता अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर में प्र.क्रं. 13/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2015 में दी गई शर्तो के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करता है।

2- यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा कमांक 57 रकवा 1.056 हे. स्थित माजा गंज तहसील राजनगर जिला छतरपुर का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में धारा 165 (6) म.प्र. भू. राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत यिका जिसमें शर्ते दी गई है जिस कारण निगरानीकर्ता का विकय पत्र नहीं हो पा रहा है जिसके संबंध में निगरानी कर्ता द्वारा दिनांक 30.08.2016 को अधीनसथ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु अधनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर कोई संशोध नहीं किया। जिससे दुखित होकर निगरानी कर्ता निम्नलिखित आारों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर करता है ।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3218–एक/16 जिला –छतरपुर

क्रमांक तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
21.9.16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 13/अ–21/2015–06 में पारित आदेश दिनांक 20.6.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक भुल्ली कोद तनय शिव लाल कोदर निवासी ग्राम गंज तहसील राजनगर जिला छतरपुर ने ग्राम गंज स्थित भूमि खसरा न0 57 रकवा 1.056 है0 के विकय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के तहत प्रस्तुत किया जो जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजनगर की ओर भेजा गयां अनुविभागीय अधिकारी ने पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेशित कर प्रकरण नायब तहसीलदार वसारी के न्यायालय भेजा । नायब तहसीलदार वसारी ने प्रकरण पंजीवद्व कर पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया। नायब तहसीलदार वसारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में लेख किया है कि आवेदन के नाम ग्राम गंज स्थित भूमि खसरा नंबर 57 रकवा 1.056 है0 पटवारी अभिलेख में भूमि स्वामी दर्ज हे यह भूमि शासन से प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि के अलावा उसके पास और कोई भूमि नहीं है। भूमि असिंचित है सिचाई का कोई स्त्रोत नहीं हैं आवेदक को उक्त	

भूमि का पटट्ा तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा प्रदाय किया गया था। अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा आवेदक को भूमि विकय की अनुमति प्रकरण कमांक 13/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.6.16 से प्रदाय की गई है लेकिन आदेश में पैरा कमांक–2 की शर्त कमांक– 1 लगायत 5 से परिवेदित होकरं इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 165 (6) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया जिसमें शर्ते दी गई हैं जिस कारण निगरानीकर्ता का विकय पत्र नहीं हो पा रहा है जिसके संबंध में निगरानी कर्ता द्वारा दिनांक 30.8.16 को अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आदेश में संशोधन कर दिया जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधन नहीं किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा आगे अपने तर्क में कहा है कि आवेदक अपनी भूमि विकय कर रहा है उससे प्रतिफल की राशि पूर्व में ही प्राप्त कर चुका है, इस कारण उक्त भूमि के विकय के समय प्रतिफल की राशि प्राप्त हो सकना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त शर्ते लागू नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण आवेदक का विकय पत्र संपादित नहीं हो पा रहा है, अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि पेरा कमांक 2 की शर्त 1 लगायत 5 को विलोपित किये जाने का निवेदन किया है तथा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4– अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया गया है कि प्रकरण क0 13/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.6.16

द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा भूमि की विकय की अनुमति दी गई है लेकिन 1 लगायत 5 शर्ते लगू कर देने से आवेदक अपनी भूमि विकय नहीं कर पा रहा है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर का प्रकरण कमांक 13 / अ—21 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 20.6.16 में आंशिक संशोधन करते हुये वह भाग जिसमें उन्होंने शर्त 1 लगायत 4 अपने आदेश में लेख की है वह निरस्त की जाती है शेष आदेश यथावत विकय अनुमति बहाल रखा जाकर यह निगरानी निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति के साथ अभिलेख वापस हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य